

## न्यायालय श्रीमति लूसी सोसेन तिग्गा

सिविल जज (वरीय कोटी)-I, बोकारो

Original Suit No- 77/2022

मेसर्स बी.सी.सी.एल. ई.जे. एरिया, भोरा (जी.एम) ..... वादी

बनाम्

झारखंड सरकार, लखिराम मांझी एवं अन्य .....प्रतिवादीगण

### नोटिस बनाम

1. लखिराम मांझी(प्रतिवादी सं. 5) पिता – सोबरण मांझी, जाती – संथाल, साकीम – ग्राम झरना, चंदन कियारी, पो0+पी0एस0 – चंदनकयारी, जिला – बोकारो, झारखंड

इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध उपरोक्त वाद मे स्वत्व वाद का मुकदमा दायर किया गया है। उपरोक्त वाद मे आप प्रतिवादी हैं। न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत होने के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः आपको इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 20.12.23 को सुबह 10:30 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर उक्त वाद में अपना पक्ष रखें, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई आपके विरुद्ध एक पक्षीय की जाएगी।

ह0/- सिविल जज (वरीय कोटी) -I  
सिविल कोर्ट, बोकारो

मेमो नं. : 142, दिनांक : 19.10.23

यह सूचना बीसीसीएल की वेबसाइट [www.bcclweb.in](http://www.bcclweb.in) पर भी उपलब्ध है।